संख्या : 1393/78-2-2011-26आई.टी./2004

प्रेषक

वी.एन. गर्ग
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक २० सितम्बर, 2011

विषयः-कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने की नीति निर्धारित न होने के कारण निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की स्टोर इन्वेटरी बढ़ती जा रही है। अतः कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित नीति निर्धारित की जाती है।

2. विभागों में स्थापित 6 वर्ष पूर्व क्रय किये गए ऐसे कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण जो कार्य योग्य नहीं रह गए हैं तथा उनका अनुरक्षण संभव नहीं हो पा रहा है, निष्प्रयोज्य घोषित किये जा सकेंगे। कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का वार्षिक ह्रास मूल्य प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत दर को आधार मानते हुए किया जायेगा। उक्त नीति के क्रियान्वयन/अनुपालन हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नलिखित समितियॉ गठित की जाती हैः-

क- यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उ0प्र0 शासन से संबंधित है तो शासन स्तर पर समिति निम्नवत् होगीः-

1-	संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष
2-	प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3-	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
4-	उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

क्रमशः ....2...

ख– यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से संबंधित है तो समिति निम्नवत होगीः–

1–	विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष
2–	विभाग के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख	सदस्य
3–	विभाग में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
4–	उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

ग– यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संगठनों यथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/स्वायतशासी निकायों आदि से संबंधित है, तो समिति निम्नवत् होगीः–

1–	संबंधित संगठन के मुख्यकार्यकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2–	संगठन के वित्त एवं लेखा प्रभाग के प्रमुख	सदस्य
3–	संगठन के तकनीकी प्रभाग के प्रमुख	सदस्य
4–	उपमहानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

घ– यदि कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण जनपदीय कार्यालयों से संबंधित है, तो समिति निम्नवत होगीः–

1–	संबंधित जिले का जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	संबंधित जिले का मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3–	संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
4–	जनपदीय कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य
5–	एनआईसी का जनपदीय अधिकारी	सदस्य

5. उपर्युक्तानुसार निर्धारित प्रकिया सभी प्रकार के वित्तीय स्रोतों से कय किये गए कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों पर लागू होगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग/न्याय विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(वी.एन. गर्ग)
प्रमुख सचिव

कमशः ....3...